

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के मौका एवं शपथ रिमा की प्रथासिद्धि को
रखने का निवेदन किया। फावनी पर
इपक्ष दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया।
दोनों पक्षों का वादग्रस्त आरोपों के
मौका एवं शपथ रिमा के प्रथासिद्धि को
संज्ञा है। अतः मूल वाद के निस्तार तक
वादग्रस्त आरोपों की प्रथासिद्धि बनाये
रखा जाना इच्छित नहीं है।

अतः प्राथमिक का प्राथम-पक्ष का
प्रस्थापी निवेदन मान्य है। 212 RTA
स्वीकृत किया जाता है। इच्छित प्रकाशन को पाबंद
किया जाता है कि मूल वाद के निस्तार तक
वादग्रस्त आरोपों के मौका एवं शपथ
प्रथासिद्धि बनाये रखी जाये। फावनी निर्णय
शुभकर होकर दो नम्बर से कम होकर
संलग्न मूल वाद है।

सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)